

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक: 18 /एक-2-2/85

दिनांक: 20.05.2025

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 214, 422 तथा 441 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दतिया के ज्ञापन क्रमांक 300/2025 दिनांक 19.05.2025 के अनुक्रम में इस आदेश के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दतिया के अवकाश पर रहने के दौरान कुटुम्ब न्यायालय के **अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य एवं आपराधिक प्रकरणों** पर हस्ताक्षर किये जाने हेतु निम्न तालिका अनुसार न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है-

स.क्र.	न्यायाधीश का पदनाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दतिया	विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

स्थान : दतिया।

for-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
d/c-9 दतिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र. 1168 (1-6)
/एक-2-2/85

दिनांक: 20.05.2025

प्रतिलिपि:

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दतिया
2. विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट दतिया
3. प्रथम/द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
उपरोक्त समस्त की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ दतिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

for-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
d/c-9 दतिया (म.प्र.)